جماعت اسلامی ہند
✆ : 91-11-26941401
26951409, 26948341
Fax : 91-11-26950975

Jamaat-e-Islami Hind जमाअत इस्लामी हिन्द

D-321, DAWAT NAGAR, ABUL FAZL ENCLAVE, JAMIA NAGAR, NEW DELHI - 110 025
e-mail : markazjih@gmail.com www.jamaateislamihind.org

Ref. No. .... Date : ....

प्रेस नोट

मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान

नई दिल्लीः 21 अप्रैल 2017। जमाअत इस्लामी हिन्द 23 से 7 मई 2017 तक एक अखिल भारतीय अभियान (मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान) मनाने जा रही है। आपसे सादर निवेदन है कि इसके विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लेने के अतिरिक्त आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबपोर्टल और न्यूज़ चैनलों में इसे प्रकाषित कर कृपार्थ करें।

परिचय

मुस्लिम पर्सनल लॉ क़ानूनों का संग्रह है जो कुरआन एवं सुन्नत से उद्धृत है और कुरआन एवं सुन्नत की षिक्षा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन और संषोधन का हक किसी मानवजाति या मानवसमूह को नहीं है। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वे जीवन के तमाम पहलुओं में अल्लाह और उसके रसूल के आदेषों को दृष्टि में रखें, खासतौर पर पारिवारिक जीवन के बारे में कुरआन एवं सुन्नत में जो क़ानून बयान किए गए हैं उन पर अमल करें। इसी तरह उनके लिए यह भी अनिवार्य है कि अगर इन कानूनों के अमल से उनकों रोकने का प्रयास किया जाए और उन्हें निरस्त करने या उनको बदल देने का अभियान चलाया जाए तो वह उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष करें अपना ये अधिकार मनवायें कि देष के संविधान के अनुसार उन्हें उनपर अमल करने की आज़ादी है।
आज मुस्लिम समाज निकाह, तलाक़, विरासत, महर व नफ़्क़ा और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित अन्य मामलों में पूरी तरह षरीअत पर चलें तो वह न केवल षांति का केंद्र बन सकता है, बल्कि देषबंधु भी इस्लाम के पारिवारिक कानूनों के महत्व, मानव स्वाभाव से उसकी अनूरूपता और मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों से अवगत होकर इससे प्रभावित हो सकते हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ का क़ानूनी पहलू

अंग्रेज़ों के षासनकाल में मुसलमानों की मांग पर 1937 में षरीअत अप्लीकेषन एक्ट (Shariat Application Act- 1937) मंजूर किया गया था। इसके अनुसार निकाह, तलाक़, खुलाअ, ज़िहार, मुबारात, फ़स्खे निकाह, हक–ए–परवरिष, विलायत, मीरास, वसीयत, हिबा और षुफ़आ से संबंधित मामलों में अगर दोनों पक्ष मुसलमान हों तो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की षरीअत के अनुसार उनका फैसला होगा, चाहे उनका रिवाज कुछ हो, साथ ही षरीअत के क़ानून को रिवाज पर प्राथमिकता हासिल होगी। भारतीय संविधान के भाग–

3 (मौलिक) में आस्था और धर्म और अंतः–करण की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया है। यह अनुच्छेद वास्तव में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा की गारंटी देता है।

सुधार की आवष्यकता

मौजूदा हालात का तक़ाज़ा है कि अब हमें पूरी षक्ति के साथ मुस्लिम समाज के सुधार की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को पारिवारिक जीवन से संबंधित आदेषों और क़ानूनों से अवगत कराना चाहिए। पारिवारिक जीवन में जो बिगाड़ आ रहा है और जो खुला उल्लंघन हो रहा है उनके निवारण का उपाय ढूंढ़ना चाहिए। मुसलमानों को इस बात पर तैयार करने की ज़रूरत है कि वे अपने पारिवारिक विवादों को षरीअत के अनुसार और षरई अदालतों के द्वारा ही फैसला करवायें।

आवष्यकता इस बात की भी है कि देषबंधुओं को पारिवारिक जीवन से संबंधित इस्लामी क़ानूनों को इस तरह से परिचित करायें कि उनके सामने यह स्पष्ट हो सके कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कितना स्वाभाविक है। साथ ही वे यह भी जान लें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ चरित्र एवं स्नेह और न्याय और संतुलन का क़ानून है जो वैवाहिक जीवन को खुषियों से भर देता है, स्वस्थ्य परिवार का सृजन करता है और पवित्र समाज का निर्माण करता है। यह कानून औरतों की मर्यादा, सम्मान और अधिकारों का संरक्षक है, साथ ही उसके स्वाभाविक स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। आषा है कि इसके बाद वे समान सिविल कोड जैसी अनुचित मांग का समर्थन नहीं करेंगे।

अगर मुसलमान को इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों और आदेषों से पूरी तरह परिचित करा दिया जाए, मुसलमान षरई क़ानूनों की ख़िलाफवर्जी से परहेज करने लगें और उनका जीवन षरीअत के क़ानून के अनुसार व्यतित होने लगें तो एक स्थिर परिवार और पवित्र समाज अस्तित्व में आएगा जिसकी बरकत से देष के अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकेंगे।

जमाअत इस्लामी हिन्द की ओर से चलाया जाने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान उपर्युक्त उद्देष्यों की प्राप्ती में लाभप्रद और सहयोगी होगा।

मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम

क्रम	तिथि	दिन	समय	स्थान	कार्यक्रम का विवरण
1	21 अप्रैल	षुक्रवार	3 बजे दोपहर	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया	प्रेस कांफ्रेंस
2	2 मई	गुरूवार	प्रातः 11:30	इंडियन वीमिंस प्रेस क्लब	जमाअत इस्लामी हिन्द महिला विंग की प्रेस कांफ्रेंस
3	3 मई	बुद्धवार	7 बजे ष्षाम	राजेंद्र भवन, आईटीओ	संगोष्ठीः जेंडर जस्टिस और इस्लाम
4	7 मई	रविवार	प्रातः 10:00	ऐवाने ग़ालिब, माता सुंदरी लेन	समापन कार्यक्रम मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता अभियान

द्वारा जारी
मीडिया प्रभाग, जमआत इस्लामी हिन्द